



असहमतीका अधिकार

असहमतीको समझना (Understanding Dissent):

- असहमतीसे तात्पर्य एक गैर-समझौतावादी दर्शन या मनोभाव अथवा कसी प्रचलित विचार (जैसे- सरकार की नीतियों) या कसी सत्ता/संस्था (जैसे- एक व्यक्तिया राजनीतिक दल जो इस तरह की नीतियों का समर्थन करता/करती है) के प्रतिवरीध प्रकट करने से है।
- कुछ राजनीतिक प्रणालयों में असहमतीको औपचारकि रूप से राजनीतिक प्रतिरिधि के माध्यम के रूप में व्यक्त किया जाता है, जबकि दिमनकारी राजनीतिक शासन वयवस्था द्वारा कसी भी प्रकार की असहमतीको प्रतिबिधि/नष्टिधि किया जा सकता है। इससे अंततः असहमतीका दमन और सामाजिक या राजनीतिक सक्रायिता (वरीधि-प्रदर्शन) को बढ़ावा मिल सकता है।
- असहमतीको प्रायः दो अन्य अवधारणाओं समालोचनात्मक चित्तिन (Critical Thinking) और सहिष्णुता से भी जोड़कर देखा जाता है।
- असहमती, प्रभावी तरक्कि-वितरक का एक शक्तिशाली स्रोत है जो स्वयंमेव कसी राज्य/राष्ट्र की संस्थाओं अथवा उसकी कार्यवाहियों के साथ ही कसी समाज के रीत-रिवाज एवं प्रथाओं की वैधता को निरिधारित करने के लिये आवश्यक होता है।
- धार्मिक प्रथाओं को लेकर व्यक्त असहमतीके प्रतिसिहिष्णुता कसी राज्य के भीतर समावेशन और सहमतीके दायरे का वसितार करने का एक महत्वपूर्ण साधन है।

असहमतीके अधिकार का महत्व:

- लोकतंत्र की आधारशिला:** लोकतंत्र को शासन के सर्वाधिक स्वीकार्य पदधारिके रूप में देखा जाता है क्योंकि यह एक नागरकि को पीड़िति होने के भय के बना असहमतीप्रकट करने का अधिकार प्रदान करता है (जब तक ऐसी असहमतीकिसी अमानवीय या असंवेधानकि कार्यवाही का कारण नहीं बनती)। असहमतीका अधिकार संविधान में निरिदिष्ट वाक एवं अभियक्तिकी स्वतंत्रता के अधिकार के दायरे में आता है।
 - लोकतंत्र में असहमतीके महत्व को रेखांकति करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि “असहमतीविस्तुतः लोकतंत्र का सुरक्षा वाल्य है।”
 - वरीधि प्रदर्शन कसी भी प्रगतशील लोकतंत्र के नागरकि, राजनीतिक, आरथिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रदीश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका का नियन्त्रण करता है। उल्लेखनीय है कि गांधीजी, नेल्सन मंडेला तथा मारटनि लूथर कगि के शांतिपूर्ण प्रतिरिधि ने इन देशों के सामाजिक-राजनीतिक ताने-बाने में आमूल-चूल परविरतन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका नभिई।
- एक भौतिक मानवीय गुण के रूप में असहमती: एक दूसरे से असहमत होना एक मूलभूत मानवीय गुण है। कई दार्शनकियों ने यह तरक दिया है कि एक बालक सारथक रूप से स्वयं की भावना को तभी ग्रहण करता है जब उसमें और मेरा की अवधारणा का बोध होता है। इसके अलावा जब वह पहली बार नहीं कहना परारंभ करता है तब इसे उसके आत्मविकास के अधिकारों के विकास के तौर पर देख जाता है।
 - इसके अतिरिक्त जसी रूप में हमारा समाज और राष्ट्र असहमतीको ग्रहण करता है, उससे हमें एक सशक्त पहचान प्राप्त होती है।
- असहमतीसे ज्ञान का सृजन:** असहमतीनीवीन ज्ञान और नई समझ के सृजन का मार्ग प्रशस्त करती है। विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुई प्रगतिअसहमतीके बना संभव नहीं होती। क्योंकि इस क्षेत्र में हुआ विकास वस्तुतः दूसरे के विचारों में दोष ढूँढने से ही संभव हो सका। इससे अंततः नीवीन ज्ञान का विकास हुआ। इसलिये बुद्ध और महावीर के बारे में कहा जाता है कि वे पहले भिन्न मतावली (Dissenters) थे और उसके बाद दार्शनकि थे।

असहमतीके अधिकार से संबंधित विभिन्न न्यायकि नियम:

- मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाद (1978):** इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने नियम दिया कविकार एवं अभियक्तिकी कोई भौतिक सीमा नहीं है। न्यायालय ने यह भी कहा कि सूचना एकत्र करना तथा न केवल भारत बलकि विदेशों से भी अपने विचारों का विनियम करना प्रत्येक नागरकि का अधिकार है।
- श्रेया संघिल बनाम भारत संघ वाद (2015):** यह एक ऐतिहासिक नियम था, जसमें आईटी अधिनियम की धारा 66A को असंवेधानकि घोषित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि लोकतंत्र में विचार और अभियक्तिकी स्वतंत्रता एक ऐसा आधारभूत मूल्य है जो हमारी संवेधानकि योजना के तहत सर्वोपर्ण है।

असहमतीके अधिकार की सुरक्षा:

- **विधिक संरचना में सुधार:** सरकार को उन सभी विधियों की समीक्षा करने के लिये एक स्वतंत्र आयोग का गठन करना चाहयि जो वाक् एवं अभिव्यक्तिकी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाते हुए उन्हें अपराध की श्रेणी के अंतर्गत लाते हैं।
- इसके अतरिक्त ऐसी विधियों/कानूनों को नरिसत या संशोधित करने तथा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों और संधियों में भारत द्वारा व्यक्त दायतिवों के अनुरूप बनाने के लिये प्रयास करना चाहयि।
- **प्रशासनिक तत्त्र को संवेदनशील बनाना:** सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिये पुलसि को प्रशासकिषण देने की आवश्यकता है की वह अनुचित और अपरासंगकि मामलों को दर्ज न करे। न्यायाधीशों (वशीष रूप से नचिली अदालतों के) को शांतपूरण अभिव्यक्तिमानकों के बारे में उन्नत प्रशासकिषण दिया जाना चाहयि ताकि वाक् की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाले मामलों को खारजि कर सकें।
- **संचार के मुक्त माध्यमों को उपलब्ध कराना:** लोकतंत्र हेतु आवश्यक है। अवृद्ध माध्यम और विकृत सूचना प्रवाह, शास्ति और शासक दोनों को गंभीर नुकसान पहुँचाते हैं। ऐसे में लोकतंत्र में सविलि सोसाइटी, गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये लोगों को तरक्कि पूर्ण तरीके से असहमति प्रकट करने का मंच प्रदान करते हैं।

असहमति के संबंध में कुछ प्रसिद्ध कथन:

- “विजिज्ञान के तरकानुसार, हजारों व्यक्तियों पर शासन करने वाले प्राधिकरण का विचार, एक अकेले व्यक्तिके विनिमय तरक्कि जिनमा मूल्यवान नहीं होता।” - गैलीलियो गैलिली
- “मुझे सभी स्वतंत्रताओं से परे सूचित होने, बोलने और अपने अंतःकरण के अनुसार स्वतंत्र तरक्कि करने के लिये स्वतंत्रता दो।” - जॉन मलिटन
- “मानव को प्रमात्र से जोड़ने वाला यदि कुछ है तो वह अपने सदिधांतों के साथ खड़े रहने का साहस है, भले ही सभी ने इसे अस्वीकार कर दिया हो।” - अबराहम लिकिन
- “अन्यायपूर्ण कानूनों की अवज्ञा करना व्यक्तिकी नैतिक ज़मिमेदारी है।” - मार्टनि लूथर कगि
- “अपने सामाजिक प्रविश के पूर्वाग्रहों से भनिन् सम्यक मत को अभिव्यक्त करने में बहुत कम लोग सक्षम होते हैं। अधिकांश लोग ऐसे मत सृजति करने में असमर्थ हैं।” - अलबर्ट आइंस्टीन
- “सरकार से प्रश्न पूछना प्रत्येक नागरकि का प्रथम दायतिव है।” - बैंजामनि फ्रैंकलनि
- “मौन तब कायरता बन जाता है जब अवसर संपूर्ण सत्य बोलने और उसके अनुसार कार्य करने की मांग करता है।” - महात्मा गांधी